प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय – मऊ।

आदेश सं0:–169 **दिनांक :–**16.12.2023

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या:17289/प्रशा.जी–II इलाहाबाद दिनांकित 09.11.2012 द्वारा यह अपेक्षा की गयी थी कि न्यायालयों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम हेतु शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाय। इस प्रकार की समिति के गठन हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा व अन्य प्रति स्टेट ऑफ राजस्थान (1997) 6 ए.सी.सी. 241 में निर्देश दिये है, जिसके अनुसार शिकायत निवारण समिति किसी महिला की अध्यक्षता में गठित की जायेगी जिसके आधे सदस्य महिला होंगी तथा इस समिति में एक सदस्य बाहरी होगा। ऐसा सदस्य किसी एन.जी.ओ. या ऐसे समिति का सदस्य हो सकता है जो कि यौन उत्पीड़न के मामलों की विज्ञता रखता हो।

श्रीमती स्वेता चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ की अध्यक्षता में यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति निम्न प्रकार से गठित की जाती है–

1. श्रीमती स्वेता चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ	अध्यक्ष
2. श्रीमती शशिनाग, प्रधान सहायक	सदस्य
3. श्रीमती अर्चना उपाध्याय, समाज सेविका	सदस्य
4. श्री तारकेश्वर नाथ उपाध्याय, नाजिर	सदस्य
5. श्री योगेन्द्र यादव, प्रधान प्रतिलिपिक	सदस्य
6. श्री नितेश सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	सदस्य

उपरोक्त समिति माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 29/2009 एडमिन जी–II दिनांकित 30.05.2009 एवं विशाखा व अन्य प्रति स्टेट ऑफ राजस्थान (1997) 6 ए.सी.सी. 241 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करेगी।

सभी सम्बंधित सूचित हो।

जनपद न्यायाधीश
मऊ।